

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत- सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापूर मुकाम गंगापूर

रजमे वनाम हजारी

रम मुकदमा- वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T.A. नं० 53 सन 2021 C 2021/157

जारीख हुकम	हुकम रम कार्यवाही का इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की आगाम में जारी हुए
------------	--------------------------------	---

26/03/2021

वादी/वादीगण की और से अधिवक्ता श्री S.K. Dahi द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T.A. के तहत प्रस्तुत किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/ प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर मिसल दिनांक 2/05/2021 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापूर जिला भीलवाड़ा

21/5/2021

मिसल पेश। कोविड-19 महामारी होने से अधिवक्तागण एवं पक्षकारान अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था में बास्त। मिसल वास्ते 1/07/2021 को पेश हो।

19/1/2021

मिसल पेश। वादीगण एवं वादीगण के अधिवक्ता उपर वादीगण कर धरना गण कि उपर वाद है उनका उपर है (मर) आपकी शारीरक है युक्त है एवं अब कोई कार्यवाही नहीं पाए है। क्या वादीगण को अधिवक्ता कर वादपत्र को Notepress कर इसका केक फोटोकर पर किया। जिस वादपत्र गन्तगत धारा 88, 188 R.T.A. का दर्ज कर पर रजिस्टर किया गया है। प्रावकी प्रसवे शुका होकर गन्तगत कर है।

निर्देशनी नाराणी देऊ गौरी नानी Notepress Sunil Kumar A.C. वास्ते कर

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापूर जिला भीलवाड़ा (राज.)